


राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक.....

(१)	(२)	(३)
20-2-८१	<p>(१) प्रख्याती एवं भूभाट के सम्बन्ध में राजस्वनिरीक्षण मजदूर से प्रतिवेदन लिखा गया। अतिलोपचार से जगत है।</p> <p>(२) रा.पु. परिपत्र ४-१ की दिना १७ में नवीनतम संशोधन (आधिकारों का प्रत्यावेदन) के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल ११६७३० वर्ग फुट है अतः प्रकरण राज्य शासन की स्वीकृति हेतु जिजायस महादप (जिला सलाहकार समिति की राय सहित) के माध्यम से भेजा जाना होगा।</p> <p>(३) अग्रिम आधिपत्य के सम्बन्ध में अनुदेश नसी है साथ प्रस्तुत है।</p>	
20.2.81.	<p>Order of 17-2-81 has been complied with. Premium & annual rent have been calculated to be Rs 64,886.90 & Rs 4,245.00 respectively as per instruction of the govt. It is an request to Govt. Advance possession can be given. Submitted for perusal & necessary action.</p> <p>Addl. Collector Kalan</p> <p>Signature Date</p>	<p>11</p> <p>2</p> <p>11</p>

RM 400/0729/9910/22/12/17



(1) (2) (3)

Re. Commended and forwarded
to Competent Authority for
necessary action.

Meha
20/2/87

Later on:

Perused the book note.
I agree. Advance provision
is given. Rest of the
formalities may be completed.

Meha
20/2/87

CI Meha P 151/1
87-88
Assy
A. W. B. B.
17/11/87

आदेशानुसार भूमि की माप स्थल पर, सचिव एवं
अन्य सदस्यों, कर्मचारी एवं निमार्ण समिति के समक्ष
की गई। माप संबंधी प्रतिक्रिया एवं अग्रिम कृपा
प्रमाणपत्र अवलोकितार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत
है।

अनुविभाग प्रमुख अधिकारी महोदय।


अतिरिक्त कलेक्टर महोदय

ASLR (A) टी. नं. 24/3/87

अनुविभाग
20/2/87

ASLR मरीदुप
जबलपुर में रहस्य
उनकी मीप नही की
जा सकी।

सत्यमेव जयते
पुनः प्रतिबिम्बित
सत्यमेव जयते






मध्य प्रदेश शासक के आदेश के अन्तर्गत जारी

२०१६/१६५/२०/२०२९

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र न. १६५/२०/२०२९

मामला क्रमांक,

(१)	(२)	(३)
	<p>श्रीमान अतिरिक्त जिजायस महोदय के आदेश दिनांक २०.२.२९ के अनुसार, म.प्र. शासक के समक्ष गृह निर्माण समिति के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में भूमि की नाप कर राजस्व निर्धारण कार्य प्रारम्भ कराया है। तथा उसी के अनुसार अंतिम दस्तावेज तैयार कर हस्ताक्षर प्रदान है।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी।</p> <p>अतिरिक्त कलेक्टर।</p> <p style="text-align: right;">  (२०१६/१६५/२०/२०२९) </p> <p style="text-align: right;"> २०१६/१६५/२०/२०२९ </p> <p style="text-align: right;">  १२/३/१९ </p> <p>१६३५ संयुक्त संचालक के पत्र क्र. ६२२/२०१६/नगर/०३४ १६६० के अनुसार अभिलेखांक के क्रमबद्ध हेतु आपसे अनुरोध किया है। शासक को भेजने हेतु कार्यालय प्रमुख अनुमति दे।</p> <p>संकेतः</p> <p style="text-align: right;">  १२/३/१९ </p>	